

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 215/2010 सत्रवाद
संस्थापित दिनांक 30-8-10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन
बनाम

1. रामअख्त्यारसिंह गुर्जर उर्म मुन्ना पुत्र सरदार सिंह गुर्जर उम्र 50 वर्ष।
2. पानसिंह पुत्र उदयसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष।
3. श्रीकृष्ण गुर्जर पुत्र पूरनसिंह गुर्जर उम्र ।
4. सत्यभानसिंह पुत्र भगवानसिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष।
5. बनवारी पुत्र बीरेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष।
6. जितेन्द्र सिंह पुत्र अचलसिंह उम्र 37 वर्ष।
7. शिशुपालसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 35 वर्ष।
8. विश्वनाथ उर्फ गुड्डू पुत्र दशरथ सिंह गुर्जर उम्र 40 वर्ष।
9. राकेश पुत्र रामेश्वरसिंह गुर्जर उम्र 27 वर्ष।
समस्त निवासीगण ग्राम खरौआ थाना गोहद,
तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।
10. नारायणसिंह पुत्र भारतसिंह गुर्जर उम्र 28 वर्ष।
निवासी ग्राम खरौआ थाना गोहद जिला भिण्ड,
हाल निवासी- गयाविहार उ०प्र०।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० 338/2010 इ०फौ०
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र० 215/2010

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री के.सी.उपाध्याय, श्री हृदेश शुक्ला एवं
श्री सुनील कांकर अधिवक्तागण।

// नि-र्ण-य //

// आज दिनांक 28-7-2015 को घोषित किया गया //

01. अभियुक्तगण का विचारण धारा 148, 307/149, 353/149, 186/149 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 21.01.10. को 14:20 बजे ग्राम खरौआ थाना गोहद में पोलिंगबूथ क्रमांक 176, 177 शासकीय प्राथमिक स्कूल खरौआ में विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य पोलिंगबूथ पर ड्यूटी पर लगे पुलिस बल की हत्या के प्रयास तथा वल व हिंसा के प्रयोग का था, उक्त समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए पुलिस वल के सदस्य आरक्षक सुरेन्द्र, प्र.आर. जगन्नाथ, रामप्रताप एवं सुरेश दुवे पर ऐसी परिस्थितियों में इस आशय या ज्ञान से फायर किया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप आरोपी हत्या के दोषी हो जाते। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर पुलिस वल के सदस्य जो कि पोलिंगबूथ पर अपने कर्तव्य के निष्पादन में लोकसेवक के नाते कार्यरत थे उन पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए आपराधिक वल प्रयोग करते हुए उन्हें उनके शासकीय कर्तव्य से विरत किया। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए जिसका सामान्य उद्देश्य पुलिस वल के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के निष्पादन से भयोपरत करने का था उन्हें उनके कर्तव्यों से भयोपरत करने हेतु फायर किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 21.01.2010 को पंचायत चुनाव में ग्राम खरौआ शासकीय प्राथमिक स्कूल में बोटिंग चल रही थी जो कि बूथ क्रमांक 176, 177 बनाए गए थे। बूथ क्रमांक 176 पर प्र.आर. रामप्रतापसिंह व आरक्षक सुरेन्द्रसिंह तथा बूथ क्रमांक 177 पर आरक्षक जगन्नाथसिंह व सुरेश सुरेश की ड्यूटी थी। इस दौरान दिन के करीब 14-15 बजे पोलिंगबूथ के पास गांव वालों में गोली चलना प्रारंभ हो गई जिसमें एक पार्टी की तरफ से रामअख्यारसिंह, शिशुपाल और राकेश, नारायण, जितेन्द्र गुड्डू, सत्यभान, बनवारी, श्रीकृष्ण तथा 10-15 अज्ञात व्यक्ति हथियारों, बंदूको, कट्टों से लेश होकर

पोलिंगबूथ पर कब्जा करने की नियत से जान से मारने की नियत से सुरेन्द्र, रामप्रतापसिंह, सुरेश दुवे व जगन्नाथ सिंह पर फायर करना शुरू कर दी जो कि गोलियाँ दीवाल में लगी। मौके पर उपस्थित पुलिस वालों ने दीवाल की आड़ में छिपकर अपनी जान बचायी। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड भी आ गए थे उनके द्वारा भी फायर किए गए। आत्मरक्षा में उनके गनमेन महावीरप्रसाद, आरक्षक सुरेन्द्रसिंह, रामप्रताप और सुरेश दुवे के द्वारा भी अपने हथियारों से फायर किये गए। आरोपी रामअख्यार 12 बोर की बंदूक, राकेश, नारायण एवं सत्यभान 315 बोर के कट्टा लिए हुए और जितेन्द्र व शिशुपाल खाली हाथ तथा इसके अतिरिक्त 10-15 अन्य व्यक्ति भी थे। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा हेतु फायर करने के कारण ही उनकी जान बच सकी थी। पोलिंग का समय समाप्त होने के पश्चात् पुलिस थाना गोहद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर से अपराध क्रमांक 27/10 धारा 147, 148, 149, 307, 353, 186 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। मौके से खाली खोखों की जप्ती की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 148, 307/149, 353/149, 186/149 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताया है तथा गांव की पार्टीबंदी के कारण उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया जाना बताया है। बचाव में बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में लोकेन्द्र वर्मा व0सा0 1, जे0एस0कुशवाह व0सा0 2 के कथन कराए हैं जो कि उक्त दोनों घटना दिनांक को ग्राम खरौआ की पोलिंग बूथ क्रमांक 176 तथा 177 पर मतदान के पीठासीन अधिकारी थे।

05. आरोपीगण के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 21.01.2010 को 14:20 बजे ग्राम खरौआ में शासकीय प्राथमिक विद्यालय पोलिंगबूथ क्रमांक 176, 177 में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए पोलिंगबूथ पर ड्यूटी पर तैनात

- पुलिस कर्मचारियों पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?
2. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर पुलिस बल के सदस्य आरक्षक सुरेन्द्र, प्र.आर. जगन्नाथ, रामप्रताप एवं सुरेश दुवे पर फायर इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थिति में किया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते?
 3. क्या आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए पुलिस बल के सदस्यों की हत्या का उक्त अनुसार प्रयत्न किया गया?
 4. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा पुलिस बल के सदस्य जो कि पोलिंगबूथ पर अपने शासकीय कर्तव्य पर रत होकर लोकसेवक की ड्यूटी कर रहे थे उन्हें उनके कर्तव्य से भयोपरित करने हेतु आपराधिक बल का प्रयोग किया?
 5. क्या आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य कार्य करते हुए पुलिस बल के सदस्यों को उनके कर्तव्यों के निष्पादन से भयोपरित किया?
 6. क्या आरोपीगण के द्वारा पुलिस बल के सदस्यों जो कि अपने लोक कर्तव्यों के निष्पादन में रत थे उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन से विरत करने हेतु फायर कर उन्हें बाधा डाली गई?
 7. क्या आरोपीगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उक्त कृत्य किया,

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 7:—

06. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
07. अभियोजन घटना के संबंध में घटना के रिपोर्टकर्ता एवं अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र सिंह अ0सा0 4 के द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि दिनांक 21.01.2010 को यातायात पुलिस भिण्ड में पदस्थ दौरान उक्त दिनांक को उसकी ड्यूटी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत खरौआ के पोलिंगबूथ क्रमांक 176 पर लगी थी। उनके साथ प्रधान आरक्षक रामप्रताप की ड्यूटी थी। बूथ क्रमांक 177 पर आरक्षक जगन्नाथ एवं आरक्षक सुरेश सिंह की ड्यूटी थी। मतदान केन्द्र पर बोटिंग चल रही थी उसी दौरान गांव की तरफ से 20-25 लोग आए और फायरिंग करने लग गए। उन्होंने दीवाल के सहारे होकर अपने को बचाया। साक्षी के द्वारा

आगे यह भी बताया गया है कि इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड के गनमेन महावीरप्रसाद ने 6 फायर किए तथा उसने भी स्वयं 6 फायर किए एवं प्र.आर. रामप्रताप के द्वारा भी एक फायर किया गया, सुरेश के द्वारा भी तीन फायर किए गए। बाद में आए हुए लोग भाग गए। आए हुए लोगों के द्वारा उन्हें मारने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा की थी। थाना गोहद के पदस्थ आरक्षक जगन्नाथ के द्वारा आए हुए लोगों का नाम बताया गया जिनके नाम रामअख्यार, शिशुपाल, राकेश, जितेन्द्र, गुड्डू, सत्यभान, पानसिंह, श्रीकृष्ण, बनवारी एवं अन्य लोगों के नाम बताए थे। साक्षी ने आरोपी रामअख्यार को पहचानना बताया तथा शेष आरोपीगण की पहचान न कर सकना अभिकथित किया है। उक्त घटना घटित होने के कारण वह शासकीय कार्य नहीं कर पाए और पोलिंग का कार्य बाधित हो गया। पोलिंग समाप्त होने के बाद थाना गोहद में आकर आरक्षक जगन्नाथ के द्वारा नाम बताये जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई जो कि प्र. पी. 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सुरेश दुवे अ0सा0 1, रामप्रतापसिंह अ0सा0 2 व जगन्नाथ अ0सा0 3 जो कि घटना दिनांक को पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम खरौआ स्थिति उक्त पोलिंगबूथ क्रमांक 176, 177 पर तैनात थे। साक्षी सुरेश दुवे अ0सा0 1 के द्वारा यह बताया गया है कि सरसों के खेत से 10-12 लोग फायर करने लगे, वह लोग पोलिंगबूथ पर छिपकर बैठ गए और पोलिंग बंद कर दी। दोनों पक्षों में आपस में गोलियाँ चलती रही। उसके साथ सुरेन्द्र और रामप्रताप ने भी बचाव में फायर किए थे। एस.डी.एम के साथ महावीरप्रसाद ने भी फायर किए थे। वह किसी भी आरोपी को पहचान नहीं पाया था। अभियोजन साक्षी रामप्रताप अ0सा0 2 ने भी अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 21.01.2010 को दो बजे ग्रामीणों में पोलिंगबूथ पर गोलियाँ चलाना शुरू हुआ था। 20-25 व्यक्ति हथियारों, लाठी, कट्टा, अधिया एवं बंदूकों से लेश होकर पोलिंगबूथ के पास आकर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग होने के कारण पोलिंगबूथ के कर्मचारियों ने आड में होकर बचाव किया। पोलिंगबूथ के दरवाजे और दीवारों पर गोलियाँ लगी थी। सुरेन्द्र तोमर और उसने भी फायर किए। उसके बाद फायर करने वाले चले गए। आरक्षक जगन्नाथ ने रामअख्यार, शिशुपाल, सत्यभान, श्रीकृष्ण, बनवारी, पानसिंह, राकेश, नारायण, जितेन्द्र और गुड्डू के नाम बताए थे। आरोपी रामअख्यार की पहचान उसके द्वारा की गई है।

09. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत घटना के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी जगन्नाथ अ0सा0 3 जो कि घटना दिनांक 21.01.2010 को थाना गोहद में पदस्थ दौरान ग्राम खरौआ की पोलिंगबूथ क्रमांक 177 पर ड्यूटी पर होना, उसके साथ सुरेश दुवे की ड्यूटी तथा बूथ क्रमांक

176 पर प्रधान आरक्षक रामप्रताप और आरक्षक सुरेन्द्र की ड्यूटी होना बताया है। मतदान के दौरान दिन के करीब दो सवा दो बजे पोलिंगबूथ क्रमांक 176 पर अचानक गोली चलना शुरू हो गई। गोली की आवाज सुनकर सभी पुलिस कर्मचारी सावधान हो गये। गोलियाँ पुलिस वालों को न लगकर दीवाल में लगी। उसके बाद पुलिस वालों ने पोजीशन लेकर आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाई। गोली चलाने वाले 6-7 लोग थे जो कि गोलियाँ चलाने के बाद सरसों के खेत में भाग गए थे। गोली चलने मतदान रुक गया था तथा वह लोग जो कि पोलिंग की सुरक्षा हेतु तैनात थे वह अपना काम नहीं कर पाए थे। घटना के सूचना थाना प्रभारी गोहद को और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड को दी गई जो कि मौके पर आ गए और अधिकारियों के आने के बाद पुनः मतदान चालू हुआ। टी.आई एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के ऊपर भी गोलियाँ चलाई गई थी। उन लोगों ने भी आत्मरक्षा में गोलियाँ चलाई थी। साक्षी ने आरोपी रामअख्यार को नाम और शक्ल से जानना पहचानना बताया है एवं शेष आरोपीगण को शक्ल से पहचानना बताया है।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी अमरनाथ वर्मा अ0सा0 9 के द्वारा प्रधान आरक्षक रामप्रताप के द्वारा अन्य आरक्षक सुरेश दुवे, आरक्षक जगन्नाथ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के गनमेन के साथ थाने पर आकर आरोपी रामअख्यार, शिशुपाल, राकेश, नारायण, जितेन्द्र, गुड्डू, सत्यभान, बनवारी, श्रीकृष्ण, पानसिंह एवं 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर उन्होंने धारा 147, 148, 149, 307, 353, 186 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखक की गई थी जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया था। आरक्षक सुरेन्द्रसिंह के द्वारा अपनी रायफल से आत्मरक्षा फायर किया गया था उसकी रायफल की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 बनाया था और रामप्रताप के द्वारा आत्मरक्षा में चलाए गए 303 बोर की रायफल का खोखा जप्त किया था जिसका जप्ती पंचनामा प्र.पी. 13 बनाया था। उन्होंने आरक्षक सुरेन्द्रसिंह से पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किए थे और साक्षी रामप्रताप और सुरेश दुवे के कथन भी लेखबद्ध किए थे। आरक्षक जगन्नाथ की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 14 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी पानसिंह, श्रीकृष्ण, सत्यभान, बनवारी, जितेन्द्र और शिशुपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 15 लगायत 20 बनाया जाना बताया है।

11. प्रकरण के अन्य विवेचक के.एस.तोमर अ0सा0 7 के द्वारा आरोपी विश्वनाथ उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 और आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7 और आरोपी रामअख्यार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.

पी. 8 बनाया जाना बताया है। आरोपी रामअख्यार से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमो कथन लिया था और घटना में 12 बोर की बंदूक और दो जिंदा कारतूस गोहद थाने की पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया जाना बताया था जो मेमोरेडम प्र.पी. 9 है जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी नारायण से पूछताछ कर उसके द्वारा 315 बोर का कट्टा और दो कारतूस अपने घर पर छिपाकर रखना और चलकर बरामद करा देना बताया था जो कि मेमोरेडम प्र.पी. 10 है जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त मेमोरेडम के आधार पर अपराध क्रमांक 29/10 में उक्त आरोपी के द्वारा पेश करने पर एक देशी कट्टा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 बनाना बताया है।

12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी पालू अ0सा0 5, ओमप्रकाश अ0सा0 6 जो कि मेमोरेडम एवं मेमोरेडम के आधार पर जप्ती के साक्षी है। उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी प्रधान आरक्षक राजकिशोर अ0सा0 8 आरक्षक आरमोहरर पुलिस लाइन भिण्ड जिन्होंने कि पुलिस थाना गोहद के अपराध क्रमांक 61/10 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा 12 बोर की फेक्ट्री मेटगन एवं 12 बोर का जिंदा राउण्ड की जाँच करना। गन का एक्सन चैक करने पर उसे चालू हालत में पाया गया जिससे फायर किया जा सकता था। गन के साथ दो राउण्ड जिनकी पेंदी पर शक्तिमान एक्सप्रेस अंकित था और दोनों राउण्ड जिंदा थे। रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

13. घटना के फरियादी/सूचनाकर्ता सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 4 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा कंडिका 3 में बताया है कि जो 20-25 लोग आए थे वह पोलिंगबूथ क्रमांक 176 पर गाँव के खेतों की तरफ से आए थे उनमें कितने लोगों के पास हथियार थे नहीं बता सकता। आए हुए लोगों में से किस किस के द्वारा फायर किये गये यह भी नहीं बता सकता। पोलिंग बूथ क्रमांक 176 के सौ मीटर दूर फायर कर रहे थे। गोलियाँ पोलिंगबूथ की दीवाल में लगी थी। उसने पोलिंगबूथ के पीठासीन अधिकारी को बताया था कि फायरिंग हो रही है और उसके बताए जाने पर पोलिंगबूथ क्रमांक 176 पर चुनाव करीब 20-25 मिनट के लिए बंद हो गया था। साक्षी के द्वारा उस दिन पोलिंगबूथ पर आए लोगों के नाम थाना गोहद के आरक्षक जगन्नाथ के द्वारा उसे बताया जाने पर उनके नाम लिखवाना अभिकथित किया है। इस बिन्दु पर कंडिका 4 में बताया है कि जगन्नाथ ने आए हुए लोगों को चिन्हित करते हुए नाम नहीं बताये थे। फायरिंग बंद होने के आधे घण्टे बाद नाम बताए थे और उसने यह भी नहीं बताया था कि वह आरोपीगण को पहले से जानता

है। आरोपी रामअख्यार जिसको कि वह मुख्य परीक्षण में पहचानना बताया है उसे भी शकल से नहीं जानता है जगन्नाथ के द्वारा बताया गया है।

14. इस प्रकार साक्षी सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 4 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है उक्त साक्षी आरोपीगण को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, जैसा कि साक्षी के कथनों से स्पष्ट है तथा साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह भी नहीं बता पाया है कि आए हुए किन किन लोगों के द्वारा फायर किये गए थे। आए हुए लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी को ही निशाना बनाकर के फायरिंग की गई है ऐसा भी कहीं साक्षी के साक्ष्य कथन में नहीं आया है। ऐसी दशा में साक्षी के साक्ष्य कथन के आधार पर जो घटना घटित होनी बतायी जा रही है उस प्रकार की घटना घटित होने एवं घटना में आरोपीगण की मौजूदगी का तथ्य की पुष्टि अन्य साक्ष्य के आधार पर होनी अपेक्षित है।

15. अभियोजन साक्षी रामप्रताप सिंह अ0सा0 2 भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जो ग्रामीण वहाँ पर आए थे उनमें कौन कौन लोग थे उनके नाम वह नहीं जानता है, क्योंकि वह पहली बार ग्राम खरौआ ड्यूटी पर गया था। वह किसी भी ग्रामीण को नहीं जानता है। आरोपी रामअख्यार के संबंध में उसके द्वारा बताया गया है कि गोहद थाने में पहले वह एच.सी.एम के पद पर पदस्थ रहा है और रामअख्यार थाना आते रहते थे इस कारण वह जानता है तथा यह बताया है कि रामअख्यार को मात्र पोलिंगबूथ पर उसने देखा था, किस आरोपी के पास कौन कौन से हथियार थे यह भी वह नहीं बता सकता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन से भी स्पष्ट है कि साक्षी आरोपी रामअख्यार को छोड़कर अन्य आरोपियों को नहीं जानता है। रामअख्यार के संबंध में उसने बताया है कि उसने रामअख्यार को पोलिंगबूथ पर देखा था। आरोपी रामअख्यार उक्त पंचायत चुनाव में सरपंच का प्रत्याशी था जैसा कि साक्ष्य से स्पष्ट है ऐसी दशा में पोलिंग बूथ के बाहर यदि उसकी उपस्थिति थी और उसे देखा गया है तो इस आधार पर अपराध में उसके संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। रामअख्यार के द्वारा कोई भी फायर किया गया ऐसा उसके साक्ष्य कथन में कहीं भी नहीं आया है।

16. अभियोजन साक्षी जगन्नाथ अ0सा0 3 के साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी गांव की दो पार्टियाँ एक तरफ भवरसिंह और एक तरफ रामअख्यार के आने और दोनों तरफ से गोलियाँ चलने के संबंध में प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में बताया है। कंडिका 3 में उसके द्वारा बताया गया है कि उसने घटना की जानकारी पोलिंगबूथ के पीठासिन अधिकारी को दी थी और घटना होने के कारण चुनाव रोक दिया गया था। आरोपीगण की पहचान के संबंध में कंडिका 4 में साक्षी के द्वारा बताया गया है कि ग्रामीणों ने

उसे आरोपीगण के नाम बताये थे। जिस ग्रामीण के द्वारा आरोपीगण का नाम बताए गए थे उसका भी नाम नहीं बता सकता।

17. यद्यपि उक्त साक्षी जगन्नाथ अ0सा03 के संबंध में घटना के समय पुलिस थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के रूप में पदस्थ होने की बात आयी है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि वह पुलिस थाना गोहद में पदस्थ था उसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने इलाके के प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जानता या पहिचानता हो और न ही यह संभव कहा जा सकता है। प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कंडिका 4 में इस बात को स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को पहले से नहीं जानता था, ग्रामीणों के बताये अनुसार वह आरोपीगण का नाम बता रहा है। जिस ग्रामीण ने उनके नाम बताए थे, यदि उनके नाम गलत बताए हो तो वह नहीं बता सकता। इसी प्रकार कंडिका 8 में भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन में जो नाम बताए थे वह ग्रामीणों के द्वारा बताए जाने पर बताए थे, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा किसी भी ग्रामीण के कथन जिसने कि आरक्षक जगन्नाथ को आरोपियों के नाम बताए हों। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन के आधार पर भी आरोपीगण की घटनास्थल पर मौजूदगी और उनके पहचान का तथ्य स्थापित नहीं होता।

18. साक्षी जगन्नाथ अ0सा03 यद्यपि आरोपी रामअख्यार को पहचानना और अन्य को शकल से पहिचानना कथन में बताया है, जबकि उक्त साक्षी आरोपीगण को पहले से नहीं जानता था और आरोपी रामअख्यार जो कि उक्त पंचायत चुनाव में सरपंच का प्रत्यासी था और निश्चित रूप से वह मतदान केन्द्र के पास गया होगा। ऐसी दशा में यदि उसके द्वारा आरोपी रामअख्यार की पहिचान की जा रही है तो मात्र इस आधार पर अन्य आरोपीगण के भी घटना स्थल पर मौजूद होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपियों की भी शिनाख्ती की कोई भी कार्यवाही अभियोजन के द्वारा सम्पादित नहीं कराई गई है जिससे कि उनकी पहिचान स्थापित की जा सके। प्रतिपरीक्षण कंडिका 7 में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि उसने गोली चलाने वालों को नहीं देखा था। पुलिस कथन प्र.डी. 2 में जो आरोपीगण के नाम का उल्लेख ए से ए भाग पर आया है वह गांव के लोगों के बताए अनुसार लिखाना उसके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि गांव के किसी भी व्यक्ति जिसने कि साक्षी जगन्नाथ को नाम बताए हैं उसके कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं। इसी प्रकार पुलिस कथन प्र.डी. 2 में महत्वपूर्ण भाग जिसमें कि आरोपीगण के द्वारा हथियारों से लेस होकर आने के संबंध में उल्लेख है बी से बी भाग का कथन पुलिस को नहीं देना बताया है। उक्त तथ्य

भी इस बात को दर्शाता है कि साक्षी को आरोपीगण के नाम की जानकारी नहीं थी।

19. ऐसी दशा में अभियोजन के उक्त महत्वपूर्ण साक्षी जगन्नाथ अ0सा03 के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथन परिप्रेक्ष्य में आरोपी रामअख्यार को छोड़कर शेष आरोपीगण की कोई भी पहिचान स्थापित नहीं हुई है। आरोपी रामअख्यार के संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि वह पंचायतमें सरपंच पद का प्रत्यासी था ऐसी दशा में यदि पोलिंगबूथ के पास रहा हो इस कारण उसकी पहिचान साक्षी कर रहा है तो मात्र इस आधार पर जबकि साक्षी यह स्वीकार किया है कि उसने गोली चलाने वालों को नहीं देखा था और गोली कौन कौन चला रहा था इस बारे में भी वह नहीं बता पाया है, उसके कथन के परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक को विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहने का तथ्य और उनके घातक आयुधों से सुसज्जित होकर वलबा कारित किया जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

20. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सुरेश दुवे अ0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण में दो पार्टियों के बीच गोलियाँ चलना बताया है तथा गोलियाँ चलाने वालों को वह नहीं देख पाना बताया है। साक्षी के द्वारा भी किसी भी आरोपी की पहिचान नहीं की गई है। मुख्य परीक्षण में साक्षी उसके द्वारा कोई फायर न करना बताया है। उक्त साक्षी के कथन के परिप्रेक्ष्य में भी यह दर्शित होता है कि दो पक्षों के बीच फायरिंग हो रही थी। पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा कोई फायर किया हो ऐसा साक्षी के कथन के आधार पर कहीं भी दर्शित या प्रमाणित नहीं होता है।

21. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बताये गये चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन के आधार पर घटना में आरोपीगण के संलग्न रहने व पुलिस बल के उपरोक्त सदस्यों की हत्या करने का प्रयत्न करने तथा पुलिस बल के सभी सदस्यों की ड्यूटी पोलिंग बूथ पर थी उनके कर्तव्यों के निर्वहन से बिरत करने एवं उन्हें भयोप्रद करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता हेतु उसकी संपुष्टि किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर होनी अपेक्षित है।

22. अभियोजन के द्वारा बताया गया आरोपी रामअख्यार के आधिपत्य से 12 बोर की बंदूक एवं कारतूस की जप्ती का प्रश्न है, इस संबंध में विवेचना अधिकारी के.एस.तोमर अ0सा0 7 के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी रामअख्यार से पूछताछ कर मेमोरेडम लिया गया था जिसमें उसने 12 बोर की बंदूक और जिंदा कारतूस गोहद पुलिस के द्वारा जप्त कर लिये जाने के संबंध में बताया था जो कि मेमोरेडम प्र.पी. 9 है तथा इसके अतिरिक्त आरोपी नारायण से पूछताछ कर उसके द्वारा 315 बोर का कट्टा व कारतूस घर पर छिपाकर रखा

होना और बरामद करा देना बताया था जो कि मेमोरेडम प्र.पी. 10 है। आरोपी नारायण से उसके पेश करने पर अन्य अपराध क्रमांक 26/10 में एक 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 7 बनाया गया था। आरोपी रामअख्यार के मेमोरेडम का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र मेमोरेडम कथन के आधार पर जबकि न तो जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित हुई है और न ही कथित जप्तशुदा हथियार की कोई पहिचान आदि कराई गई है और आरोपी रामअख्यार के कथित मेमोरेडम के आधार पर उसके पास घटना दिनांक को 12 बोर की बंदूक मौजूद होने का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता। यदि किसी दूसरे प्रकरण में उक्त अग्नेयशस्त्र की जप्ती की गई हो तो इस तथ्य को विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रमाणित कराया जाना चाहिए था। ऐसी दशा में जबकि आरोपी रामअख्यार से कोई अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य प्रमाणित नहीं कराया गया है, मात्र इस आधार पर कि किसी अन्य प्रकरण में उसके आधिपत्य से 12 बोर की बंदूक और कारतूस जप्त होना बताया गया है, इस संबंध में अभियोजन प्रकरण का सम्पुष्ट कारक साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

23. आरोपी नारायण से 315 बोर के कट्टे व कारतूस की जप्ती का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में भी अन्य प्रकरण अपराध 26/10 में जप्ती की कार्यवाही होनी बताई जा रही है, किन्तु उक्त जप्ती की कार्यवाही को भी कहीं विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं कराया गया है और न ही हथियार की कोई पहिचान आदि कराई गई है। ऐसी दशा में विवेचना अधिकारी के द्वारा मात्र आरोपी नारायण के मेमोरेडम कथन के आधार पर अन्य प्रकरण में उसके आधिपत्य से 315 बोर के कट्टे की जप्ती करने के कथन के आधार मात्र पर जबकि जप्ती की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से प्रमाणित नहीं है तथा जप्ती में किसी प्रकार का कोई शील नमूना अंकित नहीं है। आरोपीगण रामअख्यार एवं नारायण के घटना में शामिल होने और इस दौरान उसके पास अग्नेय शस्त्र होने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

24. यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान घटना ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ ग्राम खरौआ में 176 व 177 पर होनी बताई जा रही है। घटना के समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौके पर आ जाना एवं उन पर भी फायर किया जाना और उनके गनमेन के द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाया जाना अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है, किन्तु अभियोजन के द्वारा न तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को साक्षी के रूप में लिखा गया है और न ही उनके गनमेन जिसके द्वारा के आत्मरक्षा में गोली चलाई जाना बताया जा रहा है उसके कथन कराए गए हैं। जबकि उक्त संबंध में उक्त दोनों ही महत्वपूर्ण साक्षी थे ऐसे साक्षी के मौजूद होने के उपरांत भी उनके कथन नहीं कराये गये हैं।

25. बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्ष्य के रूप में लोकेन्द्र वर्मा व0सा0 1 व जे.एस.

कुशवाह व0सा0 2 के कथन कराए गए है। उक्त दोनों ही साक्षी घटना दिनांक को ग्राम खरौआ के पोलिंगबूथ क्रमांक 176, 177 पर पीठासीन अधिकारी के पद पर ड्यूटी पर थे। उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि उपरोक्त दिनांक को उनके मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान कोई भी झगडा या विवाद नहीं हुआ था और पोलिंग का काम पूर्ण कर उनके द्वारा मत पेटियाँ निर्धारित समय में जमा कराई गई थी और इस दौरान मतदान केन्द्र पर पुलिस कर्मचारी भी उनके साथ थे जो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके साथ रहे। साक्षी लोकेन्द्र वर्मा व0सा0 1 के द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी दिनांक 21.01.20 पेश की है जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 1 है तथा जे.एस. कुशवाह व0सा0 2 के द्वारा भी पीठासीन अधिकारी की डायरी दिनांक 21.01.10 पेश की है जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 2 है।

26. बचाव पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षियों का अभियोजन के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है। प्रतिपरीक्षण में बाहर झगडा होने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी न होना उनके द्वारा बताया गया है और मतदान शुरू होने के बाद तीन बजे खत्म होना उनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी जो कि पोलिंगबूथ क्रमांक 176 के संबंध में प्र.डी. 1 तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 177 के संबंध में प्र.डी. 2 उक्त दोनों ही डायरियों में कहीं भी मतदान केन्द्र पर कोई घटना घटित होने अथवा उक्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का काम रुका हो या किसी प्रकार से प्रभावित हुआ हो ऐसा कहीं भी उनमें उल्लेख नहीं आया है, जबकि इस संबंध में घटना के फरियादी सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 4 व अन्य साक्षियों के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि घटना दिनांक को घटना घटित होने के कारण वह अपना शासकीय कार्य नहीं कर पाए और पोलिंग का कार्य बाधित हो गया, किन्तु इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य जो कि इस बिन्दु पर सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता है वह पीठासीन अधिकारियों की डायरियाँ है जिसमें कि कहीं भी घटना दिनांक को उक्त पोलिंगबूथ पर घटना घटित होने के कारण पोलिंग का काम रुकने के संबंध में कोई उल्लेख उनमें नहीं आया है।

27. इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को जो घटना घटित हुई है, वह पोलिंगबूथ के अंदर नहीं हुई है, बल्कि घटना पोलिंगबूथ के बाहर घटित हुई है। ऐसी दशा में यदि पीठासीन अधिकारी की डायरी में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तो इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इस संबंध में जैसा कि फरियादी व अभियोजन साक्षियों के द्वारा घटना दिनांक को मतदान का कार्य बाधित होकर रुक जाना बताया है जबकि मतदान रुकना अथवा बाधित होना कहीं भी दोनों ही पोलिंगबूथों के

पीठासीन अधिकारियों के कथनों में और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित नहीं है।

28. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को आरोपीगण घटनास्थल पर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बल प्रयोग कर बलवा कारित करने अथवा घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए पुलिस बल के आरक्षक सुरेन्द्र, प्र0आर0 जगन्नाथ, रामप्रताप और सुरेश दुवे की हत्या का प्रयत्न करने अथवा घटना दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा पुलिस बल के सदस्यों जो कि अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में रत थे उन पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग इस आशय से करने कि वह अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन से विरत हो सकें तथा उक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त पुलिस स्टाफ पर उनके लोक कर्तव्यों के निर्वहन से बांधा पहुँचाने हेतु उन पर हमला कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है। अतः आरोपीगण रामअख्यार, नारायणसिंह, पानसिंह, गुड्डू उर्फ विश्वनाथ, श्रीकृष्ण, बनवारी, सत्यभान, शिशुपाल, जितेन्द्र और राकेश को आरोपित अपराध धारा 148, 307/149, 353/149, 186/149 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

29. आरोपीगण के निरोध के संबंध में 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

30. वर्तमान प्रकरण में जप्तशुदा 303 बोर कारतूस के दो खोखे मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड